

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री कंसल किरयाना स्टोर, नदी मन्दिर रोड, बुढाना, मुजफ्फरनगर ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 014 / 11, 22.02.2011
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कंसल किरयाना स्टोर, नदी मन्दिर रोड, बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 22.02.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “ सिमकार्डों ” पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 13.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-2918, दिनांक 18.03.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में निर्णय दिनांक 10.12.2010 सर्वश्री श्री राज राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सी-1 / 214, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली के प्रार्थना-पत्र संख्या-110 / 10 में दिये गये उत्तर के अनुसार सिमकार्ड पर 4% की दर से करदेयता मानी गई है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि सिमकार्ड पर कर की दर के सम्बन्ध में सर्वश्री श्री राज राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सी-1 / 214, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली के प्रार्थना-पत्र संख्या-110 / 10 में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत विस्तृत निर्णय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.12.2010 को पारित किया गया है जिस पर सिमकार्ड को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-17 के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गई है । अतः उक्त वस्तु पर पुनः कर की दर का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि सर्वश्री श्री राज राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सी-1 / 214, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली के मामले में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-110 / 10 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2010 से सिमकार्ड पर कर की दर निर्धारित की जा चुकी है । पुनः उसी वस्तु पर कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

सर्वश्री कंसल किरयाना स्टोर / प्रा० पत्र सं०-०१४ / ११ / धारा-५९ / पृष्ठ-२

है।

७. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक २१ मार्च, २०१४

ह० / २१.०३.२०१४

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।